



छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)



दूरभाष : 0771-2960539
सी.आई.एन.: U 14103 CT 2001 SGC 014691,
ई-मेल: cmdcraipur@gmail.com
वेबसाइट : www.cmdc.co.in

मुख्य कार्यालय :
सेक्टर-24, ब्लॉक नंबर 7-ए,
तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर
(छ.ग.) पिन नंबर 492015

विज्ञापित क्रमांक - 01/स्थापना/सीएमडीसी/2026

नवा रायपुर, दिनांक : 28/10/2026

-: विस्तृत विज्ञापन :-

आवेदन का माध्यम : विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के आधिकारिक वेबसाइट <https://iimraipur.ac.in/wp-content/uploads/2026/10/index.html> एवं सीएमडीसी के आधिकारिक वेबसाइट <http://www.cmdc.co.in/career.php> पर विजिट करें।

आवेदन की तिथि : दिनांक 30.10.2026 (मध्याह्न 12.00 बजे) से दिनांक 23.11.2026 (मध्यरात्रि 11.59 बजे तक)

1. रिक्तियों का विवरण एवं वेतनमान सेवा श्रेणी का विवरण निम्नानुसार है :

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपि	अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रबंधक (खान)	2	1	2	1	—	—	—	—	—	6	(स्तर-12) 56100—177500
2	सहायक भौमिकीविद्	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	
3	प्रबंधक (मैकेनिकल इंजीनियर)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
4	प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
5	सहायक प्रबंधक (खान)	4	1	3	1	1	—	—	—	—	9	(स्तर-10) 43200—136500
6	सहायक प्रबंधक (विपणन)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
7	जूनियर फोरमेन	2	1	2	1	—	—	—	—	—	6	(स्तर-9) 38100—120400
8	माइनिंग मेट	4	1	3	2	1	—	—	—	—	10	(स्तर-6) 25300—80500
9	ब्लास्टर	2	1	2	1	—	—	—	—	—	6	(स्तर-5) 22400—71200
10	मेट हेल्पर	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	(स्तर-4) 19500—62000
योग -											44	

महत्वपूर्ण टीप :-

1. ऑनलाइन आवेदन की तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2. रिक्तियों में आरक्षण :-

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।

3. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

4. पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता आयु सीमा एवं अन्य :-

(i)	पद का नाम :-	प्रबंधक (खान)
	वेतन मेट्रिक्स -	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12 (56100-177500)
	आयु सीमा -	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो।
- (2) मेटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो।
- (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड मेटल माईंस में न्यूनतम 05 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।
- (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड माइन्स में खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

(ii)	पद का नाम :-	सहायक भौमिकीविद्
	वेतन मेट्रिक्स -	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12 (56100-177500)
	आयु सीमा -	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर या एम.टेक, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो।
- (2) किसी शासकीय संस्थान / सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान के खदानों में कार्य करने का न्यूनतम 07 वर्षों का कार्य का अनुभव।
- (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें कम्प्यूटर शाफ्टवेयर द्वारा ज्योलॉजिकल रिपोर्ट, माईन माडलिंग तथा माईनिंग प्लान एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे आदि तैयार करने का ज्ञान हो।

(iii)	पद का नाम :-	प्रबंधक (मैकेनिकल इंजीनियर)
	वेतन मेट्रिक्स -	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12 (56100-177500)
	आयु सीमा -	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एम.टेक में डिग्री प्राप्त किया हो।
- (2) मेकेनाइज्ड/सेमीमेकेनाइज्ड मेटल माइन्स में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिये।
- (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड माइन्स में प्रबंधक मैकेनिकल के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

- (iv) पद का नाम :- प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर)
वेतन मेट्रिक्स - वेतन मेट्रिक्स लेवल-12 (56100-177500)
आयु सीमा - न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एम.टेक में डिग्री प्राप्त किया हो।
- (2) मेकेनाईज्ड/सेमीमेकेनाईज्ड मेटल माइन्स में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिये
- (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में प्रबंधक इलेक्ट्रिकल इंजी. के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

- (v) पद का नाम :- सहायक प्रबंधक (खान)
वेतन मेट्रिक्स - वेतन मेट्रिक्स लेवल-10 (43200-136500)
आयु सीमा - न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया हो।
- (2) मेटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो।
- (3) मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड मेटल माईन्स में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।
- (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में सहा. खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

- (vi) पद का नाम :- सहायक प्रबंधक (विपणन)
वेतन मेट्रिक्स - वेतन मेट्रिक्स लेवल-10 (43200-136500)
आयु सीमा - न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) एम.कॉम अथवा एम.बी.ए. में कम से कम 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण।
- (2) एम.बी.ए. मार्केटिंग को वरीयता।
- (3) किसी शासकीय संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान में खनिज विक्रय से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्षों का कार्य का अनुभव।

- (vii) पद का नाम :- जुनियर फोरमेन
वेतन मेट्रिक्स - वेतन मेट्रिक्स लेवल-9 (38100-120400)
आयु सीमा - न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।
- (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी फोरमेन सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो।

- (viii) पद का नाम :- माइनिंग मेट
वेतन मेट्रिक्स - वेतन मेट्रिक्स लेवल-6 (25300-80500)
आयु सीमा - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) माईनिंग/माइनिंग एवं माईन सर्वेइंग में डिप्लोमा।
- (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी माईनिंग मेट सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो।
- (3) अधिक उम्मीदवार होने पर मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड खान में कार्य के अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता होगी।

(ix) पद का नाम :-	ब्लास्टर
वेतन मेट्रिक्स -	वेतन मेट्रिक्स लेवल-5 (22400-71200)
आयु सीमा -	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी ब्लास्टर सर्टिफिकेट (Restricted) धारक।
- (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड माइन्स में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव।

(x). पद का नाम :-	मेट हेल्पर
वेतन मेट्रिक्स -	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
आयु सीमा -	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- (1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।
- (2) किसी शासकीय/निजी संस्थान में 02 वर्ष खान में कार्य करने का अनुभव।

टीप :- वेतन मेट्रिक्स के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

5. **निर्धारित आयु सीमा :** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को पदों में वर्णित आयु सीमा के आधार पर होनी चाहिए, परन्तु राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को उपरोक्त पदों में वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।

6. आयु सीमा में छूट :

- (क) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु 01 जनवरी 2026 को पदों में वर्णित आयु की न्यूनतम एवं अधिकतम होगी तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेंगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ख) सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली उच्चतर आयु सीमा की छूट दी जावेगी।
- (ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- (घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ङ) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी, अर्थात :-
 (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
 (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
 (तीन) जो अभ्यर्थी छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(i) **स्पष्टीकरण** – शब्द “छटनी किये गये सरकारी सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवानुवृत्त किया गया हो ।

(ii) **स्पष्टीकरण** – सीधी भर्ती के पदों हेतु वांछित अनुभव एवं अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, परन्तु आयुसीमा संबंधित सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(च) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो सेवा आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :-

- (i) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के आधीन मुक्त कर दिया गया हो ।
 - (ii) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें –
 - (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवानुवृत्त कर दिया गया हो ।
 - (iii) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक,
 - (iv) संविदा पूरी होने पर सेवानुवृत्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है ।
 - (v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवानुवृत्त किये गये हो ।
 - (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे ।
 - (vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।
 - (viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रूप से अलग किया गया हो ।
- (छ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (ज) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (झ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (ञ) शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंडेदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (त) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

- (थ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशनड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी। किन्तु ऐसी छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (द) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही उपरोक्तानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

7. यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

- विज्ञापन की कंडिका 6(ग), 6(ड.), 6(च), 6(त), 6(थ) एवं 6 (द) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- विज्ञापन की कंडिका 6(छ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये भारत सरकार/राज्य शासन के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- विज्ञापन की कंडिका 6(ज) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- विज्ञापन की कंडिका 6(झ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला/मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र
- विज्ञापन की कंडिका 6(ञ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

8. नियोक्ता का प्रमाण-पत्र :-

- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत् हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत् हों तो वे ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी "अनापत्ती प्रमाण-पत्र" संलग्न करेंगे।
- यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ती प्रमाण-पत्र" संलग्न करने में विफल होता है तो आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

9. आपराधिक अभियोजन :-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो:-

- जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिये परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त न किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
- किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमे फेरबदल किया हो या,
- चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार में अनुचित साधन का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो, या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किसी भी हिदायत या अन्य अनुदेश जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गयी हिदायत भी शामिल है, का उल्लंघन किया हो, या
- परीक्षा कक्ष या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), नवा रायपुर के परिसर में मोबाईल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो, या

- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :-
- सीएमडीसी/भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), द्वारा उस चयन के लिये जिसके लिये वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी,
 - उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा,
 - सीएमडीसी/भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - सीएमडीसी/भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), द्वारा या उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
 - यदि वह राज्य शासन/अन्य संस्थान के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किये गये उल्लंघन के लिये उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि -
 - अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 - अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

10 मूल निवास -

प्रबंधक (खान), सहायक भौमिकीविद्, प्रबंधक (मैकेनिकल इंजीनियर) तथा प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर) के पद को छोड़कर शेष पदों हेतु छत्तीसगढ़ का स्थानीय/मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. जाति प्रमाण पत्र :-

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

12. चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा योजना :- चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार अथवा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार संयुक्त रूप में होगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी। लिखित परीक्षा आयोजन की स्थिति में पाठ्यक्रम (Syllabus) परिशिष्ट (Annexure)-1 पर संलग्न है।

13. परीक्षा के संबंध में :-

भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना तथा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. विज्ञापित पदों में नियमानुसार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित है ।

15. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के सम्बंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), रायपुर का होगा।

16. चयन पूर्व उम्मीदवार को समस्त प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पुनः आमंत्रित किया जायेगा।

17. चयनित उम्मीदवारों को 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी। चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटिनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा। नियुक्ति पश्चात् पुलिस वेरीफिकेशन कराया जायेगा। पुलिस वेरीफिकेशन में शासकीय सेवा योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

18. उक्त विज्ञापित पद क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर/भानुप्रतापपुर/दंतेवाड़ा/कबीरधाम एवं सी.एम.डी.सी. के अन्य कार्यस्थलों के लिये भी है, अतः नियुक्ति इन क्षेत्रों में भी की जावेगी।
19. पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।
20. महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उक्त पद पुरुष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।
21. विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का निर्णय नियोक्ता का होगा।
22. चयन में वरीयता का तात्पर्य अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया में सामान्य अंक होने पर विज्ञापित पदों के शैक्षणिक अर्हता संबंधी नियम में दिये गये प्रावधानों के तहत वरीयता प्रदान की जायेगी।
23. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
24. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
25. भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
26. आयु संबंधी प्रमाण के लिये अभ्यर्थी को जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण-पत्र (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
27. ऑनलाईन आवेदन करते समय समस्या होने पर **cmdc_recruitment@iimraipur.ac.in** पर ई-मेल करें।
28. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में जारी निर्देशानुसार राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है। उक्त विज्ञापित पदों पर चयन/नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक/19668/2022 में अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

क्र.	पदनाम	विषय
(1)	(2)	(3)
1	प्रबंधक (खान)	1. Drilling and Blasting 2. Mine Development 3. Mine Surveying 4. Rock Mechanics 5. Surface Mining (open pit analysis and design) 6. Underground Metal Mining 7. Mine Electrical Engineering 8. Mine Environmental Engineering 9. Mine Legislation and Safety (Mines Act, MMDR Act, MCDR) 10. Computer-Aided Mine Planning
2	सहायक प्रबंधक (खान)	
3	प्रबंधक (मैकेनिकल इंजीनियर)	1. Thermodynamics 2. Fluid Mechanics and Machinery 3. Heat Transfer 4. Theory of Machines and Mechanisms: 5. Machine Design 6. Strength of Materials (Mechanics of Solids): 7. Industrial Engineering 8. Mechanical Handling Systems and Equipment:
4	प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर)	1. Mining Switchgears and Appliances 2. Cables and Earthing Practices 3. Mine Safety and Legislation 4. Communication and Signalling Systems Maintenance 5. Mine Electrical Engineering 6. Fiber Optic Systems Multiplexing 7. Microprocessors and Microcomputers
5	सहायक भौमिकीविद्	1. Geological exploration 2. Economic geology 3. Structural geology 4. Stratigraphy 5. Engineering geology 6. Hydrogeology 7. Remote sensing 8. Sampling methods 9. Geological mapping
6	सहायक प्रबंधक (विपणन)	1. Market assessment, 2. Market forecast, formulation & implementation of marketing schemes, 3. Sales strategy, 4. Sales distribution, 5. Supply chain, 6. logistics and customer related legal matters 7. Economy, Commerce, Industry, Forest, Agriculture and Handloom Industry of India. (With special reference to Chhattisgarh)

क्र.	पदनाम	मुख्य विषय
(1)	(2)	(3)
7	जुनियर फोरमेन	1. Provisions of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, 2. Explosives and Blasting;
8	माइनिंग मेट	3. Opencast methods of mining; mechanized and manual methods; 4. Deep hole drilling and blasting 5. Inspection of work place, transport and haul roads and their maintenance. 6. Safety aspects and safe use of different kinds of machinery used in opencast mines. 7. Hazard Identification, risk assessment and risk management, 8. Safety management plan.
9	ब्लास्टर	1. Blasting and transport and use of explosives in opencast mines, 2. Safe Operating procedures for Loading, unloading and transport of mineral/overburden. 3. Benching and sloping of opencast workings; 4. Examination and dressing of the sides; Fencing of opencast workings and other dangerous places, 5. Provisions of the Metalliferous Mines Regulations 1961 and Rules made under the Mines Act, 1952 6. Relating to the safety of persons employed in mines in general and to the duties of Mates and Blasters in particular.